बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 2022

जी० एस० आर० ..... पटना/दिनांक.....

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धारा 03 एवं धारा 05 सहपठित जी०एस०आर०-03, दिनांक 14 मार्च 2016 द्वारा बिहार सरकार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा निर्गत बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका 36 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित आदेश करते हैं :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम "बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 2022" होगा।
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका 05 के बाद निम्न कंडिकाएँ जोड़ी जाती है :–

"05(i) बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका–9(viii) के तहत प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में अनुज्ञापन पदाधिकारी प्राप्त आवेदनों को जाँचोपरान्त रिक्तिवार मेधा क्रमांक प्रदर्शित करते हुए अपनी अनुशंसा के साथ औपबंधिक मेधा सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय चयन समिति को भेजेंगे।

(ii) तत्पश्चात् जिला–स्तरीय चयन समिति की अनुमति से औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय सूचना–पट्ट पर करते हुए प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष लिखित दावा/आपत्तियों को समर्पित करने का अवसर असंतुष्ट आवेदकों को दिया जाएगा।

(iii) दावा/आपत्ति प्राप्त होने की अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रत्येक दावा/आपत्ति का विधि–सम्मत् निष्पादन करते हुए जिला–स्तरीय चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी एवं प्रत्येक दावा/आपत्ति के निष्पादन के संबंध में संक्षिप्त अभ्युक्ति कारण सहित अंकित की जाएगी।

(iv) अंतिम मेधा सूची के प्रकाशन में सन्निहित अनुशंसा के विरूद्ध कोई असंतुष्ट आवेदक स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए साक्ष्यों के साथ 15 दिनों के भीतर प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष परिवाद दायर कर सकेंगे। प्रमंडलीय आयुक्त रिक्तिवार प्राप्त परिवादों का एक साथ निष्पादन करेंगे। साथ ही, सभी परिवादों का निष्पादन परिवाद प्राप्ति की तिथि से अधिकतम 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

(v) वैसे सभी मामलों में जिसमें निर्धारित अवधि के भीतर अंतिम मेधा सूची के विरूद्ध प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष कोई परिवाद दायर नहीं किया गया हो, अनुज्ञापन पदाधिकारी विहित प्रक्रिया से अनुज्ञप्ति निर्गत करेंगे। किन्तु जिन मामलों में प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष परिवाद दायर किया गया हो, वैसे मामलों में प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा आदेश पारित होने के बाद उक्त आदेश के आलोक में अनुज्ञप्ति निर्गत की जाएगी।

(vi) जिला–स्तरीय चयन समिति के निर्णय के विरूद्ध प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा।"

प्र0 07–कोर्ट केस–07/2022
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(विनय कुमार)

ज्ञापांक– प्र07–कोर्ट केस–07/2022 3223 खाद्य, पटना/दिनांक– 21/07/2022–
प्रतिलिपि:– ई–गजट प्रभारी, वित्त विभाग, पटना को विषयशीर्ष के साथ अंग्रेजी अनुवाद Ms Word में सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कॉपी सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि उक्त प्रकाशित गजट की 100 प्रतियां अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

अनु0– सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कॉपी ।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–कोर्ट केस–07/2022 3223 खाद्य, पटना/दिनांक– 21/07/2022–
प्रतिलिपि:– सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /सभी जिला पदाधिकारी/प्रबंधक निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, बिहार, पटना/निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/अपर जिला दंडाधिकारी आपूर्ति, पटना/विशिष्ट अनुमाजन पदाधिकारी, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/सभी पणन पदाधिकारी/सभी आपूर्ति निरीक्षक/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, बिहार इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन, पटना/अध्यक्ष, बिहार चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्डस्ट्रीज, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायिक संघ, पटना/महामंत्री, बिहार आपूर्ति सेवा संघ, मौर्यालोक, पटना/ महामंत्री, बिहार फेयर प्राईस डीलर्स एसोसियेशन, भिखना पहाड़ी, पटना–4/महामंत्री, बिहार प्रदेश जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ, गायघाट, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–कोर्ट केस–07/2022 3223 खाद्य, पटना/दिनांक– 21/07/2022.
प्रतिलिपि:– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना /महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, पटना/संयुक्त सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–कोर्ट केस–07/2022 3223 खाद्य, पटना/दिनांक– 21/07/2022–
प्रतिलिपि:– आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की प्रति ई0 मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।